An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834004
दूरभाषः– 0651–2444501, 2444502
ई–मेलः jepcranchi1@gmail.com

पत्रांक : ME/01/1183/2023/1278 **दिनांकः ..02../04/2024**

प्रेषक,

आदित्य रंजन, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
एवं सभी उत्कृष्ट विद्यालय के
प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, वार्डेन
झारखण्ड।

विषय :– उत्कृष्ट विद्यालयों के नामांकन हेतु मेधा सूची निर्माण करने के संबंध में।
प्रसंग :– झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद पत्रांक– (ME/01/1183/2023/465), दिनांक– 03.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि उपरोक्त वर्णित पत्रांक के कंडिका 5 (x) के अनुसार झारखण्ड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प–1434, दिनांक–15.02.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार जिला वार आरक्षण रोस्टर का पालन, मेधा सूची को तैयार करने में किया जाए। संकल्प–1434 के कंडिका 6 में अंकित प्रावधान के आलोक में निम्न कार्रवाई की जानी है :–

क्र.स.	कोटि	नमांकन हेतु आरक्षण का प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	10 प्रतिशत
2	अनुसूचित जन जाति	26 प्रतिशत
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I	08 प्रतिशत
4	पिछड़ा वर्ग –II	06 प्रतिशत
5	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की श्रेणी से	10 प्रतिशत
6	अनारक्षित (खुली मेरिट के अनुसार)	40 प्रतिशत

1. इस संबंध में अंकित करना है कि आरक्षण कोटि में यदि उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो इस वर्ग के लिए आरक्षित कोटि को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जाएगा :–

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जाएगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जाएगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जाएगा :–

(i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारो ंसे
(ii) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारो ंसे

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834004
दूरभाषः– 0651–2444501, 2444502
ई–मेलः jepcranchi1@gmail.com

(ग) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती है तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(घ) यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उन सीटों को सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(ड.) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को गणना जो अपने merit के आधार पर चुने जाते है तो खुली merit कोटि के 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध की जायेगी न कि आरक्षित कोटि के रिक्ति के विरूद्ध।

(सुलभ प्रसंग हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प संख्या 1434 दिनांक– 15.02.2019 संलग्न किया जाता है)

2. उत्कृष्ट कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में राज्य परियोजना निदेशक के निदेशानुसार कक्षा 6 के 25 सीटों के लिए चयन हेतु भी संकल्प 1434 के अनुसार जिलावार आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। इन विद्यालयों में अन्य कक्षाओं यथा कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में स्वीकृत सीटों के विरूद्ध स्थान रिक्त रहने पर जिला के द्वारा विद्यालय के उन कक्षाओं के रिक्त सीटों के लिए भी विद्यालय स्तरीय चयन परीक्षा का आयोजन कर अभ्यार्थियों का चयन उन सीटों के लिए आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार किया जा सकता है।

3. राज्य के 07 उत्कृष्ट मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा चयन परीक्षा आयोजन कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। वही कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में प्रति कक्षा स्वीकृत 40 सीटों के विरुद्ध रिक्त सीटों पर भी चयन परीक्षा के आधार पर चयन किया जाना है। इन सीटों पर चयन आरक्षण कोटि के अनुसार जितनी सीटे जिस कोटि के रिक्त है उसके अनुसार अभ्यार्थियों का चयन किया जाना है। इस संबंध में पूर्व में भी आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया था। इसके आलोक में कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

(आदित्य रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक।

ज्ञापांक : ME/01/1183/2023/1278 दिनांक : 2/04/2024

प्रतिलिपिः सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के नोडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आदित्य रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक।